

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/मु.अ./2024/

दिनांक

अनवान :-

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
गेमरसिंह वगैरा	बनाम	प्रमानन्द वगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमवंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 130/2024

दिनांक 26.07.2024

आदेश

तहसीलदार धनाऊ को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील धनाऊ, पटवार क्षेत्र तालसर के मौजा सोमराड के खेत खसरा सं. 502/321 रकबा 08.0937 हैक्टयर भूमि के चारों तरफ पट्टे नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उन विवादित भूमि की नेखमवंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी महम न्यायालय का स्वगत आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिमम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमवंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुनिस थाना से पुनिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।
प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/मु.अ./2024/ 2336 +0 2339

प्रतिनिधि :-

1. तहसीलदार धनाऊ
2. प्रार्थी गेमरसिंह वगैरा
3. विप्रार्थीगण परमानंद वगैरा
4. थानाधिकारी पुनिस थाना चौहटन/बीजराड/धौरीमन्ना/धनाऊ/सेडवा

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
दिनांक 26/07/2024

